

FORM NO. C.A.-1

[Refer Rule 3 of the Customs (Appeal) Rules, 1982]

**Form of Appeal to the Commissioner (Appeals) under Section 128
of the Customs Act, 1962**

- (1) No.....of.....19.....
- (2) Name and address of the appellant.
- (3) Designation and address of the officer passing the decision or order appealed against and the date of the decision or order.
- (4) Date of communication of the decision or order appealed against to the appellant.
- (5) Address to which notices may be sent to the appellant.
- (6) Whether duty or penalty or both is deposited : If not, whether any application for dispensing with such deposit has been made. (A copy of the Challan under which is deposit is made shall be furnished).
- (6A) Whether the appellant wishes to be heard in person.
- (7) Reliefs claimed in appeal.

**Statement of facts
Grounds of appeal**

- (i)
- (ii)
- (iii) etc.

*Signature of authorised
representative, if any.*

*Signature of the
appellant.*

Verification

I, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the.....day of.....19.....

Place.....

Date.....

*Signature of authorised
representative, if any.*

*Signature of the
appellant.*

- Notes : (1) The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the appellant in accordance with the provisions of Rule 3 of the Customs (Appeals) Rules, 1982.
- (2) The form of appeal, including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के धारा 128 के तहत 'आयुक्त (अपील) को अपील करने का प्रपत्र'

- (1) सं.....का.....19.....
- (2) अपीलकर्ता का नाम और पता।
- (3) निर्णय पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता या जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है और निर्णय या आदेश की तारीख।
- (4) अपीलार्थी के विरुद्ध अपील किए गए निर्णय या आदेश के संचार की तिथि।
- (5) पता जिस पर अपीलकर्ता को नोटिस भेजे जा सकते हैं।
- (6) क्या शुल्क या जुर्माना या दोनों जमा किया गया है: यदि नहीं, तो क्या ऐसी जमा राशि को समाप्त करने के लिए कोई आवेदन किया गया है। (जिस चालान के तहत जमा किया गया है उसकी एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी)।
- (6A) क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करना चाहता है।
- (7) अपील में राहत का दावा।

तथ्यों का विवरण

अपील के आधार

(i)		
(ii)		
(iii)	आदि	
अधिकृत प्रतिनिधि के		अपीलकर्ता के
हस्ताक्षर, यदि कोई हो।		हस्ताक्षर
सत्यापन		

मैं, अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज सत्यापित किया गया, का दिन..... 19...

स्थान.....	
दिनांक.....	
अधिकृत प्रतिनिधि के	अपीलकर्ता के
हस्ताक्षर, यदि कोई हो।	हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ : (1) अपील के आधार और सत्यापन के रूप में अपीलकर्ता द्वारा सीमा शुल्क (अपील) नियम, 1982 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) तथ्यों के बयान और अपील के आधार सहित अपील का रूप दो प्रतियों में दायर किया जाएगा और उसे अपील के विरुद्ध हुए निर्णय या आदेश की एक प्रति के साथ किया जाएगा।